न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर
पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

पंजियन दि. 06.07.2016
निर्णय दिनांक 24.05.2017

प्रकरण सं.–05/2016

1. श्री भूरालाल पिता हरलाल रेवारी
2. श्री प्रभूलाल पिता हरलाल रेवारी

निवासीयान गडाझूमजी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता नगजी भील
2. श्री गौतम पिता नगजी भील
3. श्रीमती कांता पुत्री नगजी भील
4. श्रीमती सोमी पत्नी स्व. नगजी भील

निवासीयान बुचिया छोटा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू–राजस्व अधिनियम
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री दिनेशचन्द्र चौबीसा, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री लालसिंह चूण्डावत–वकील विपक्षीगण सं. 1 से 4 की ओर से
3. पेरोकार सरकर विपक्षी सं. 5 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) के नियम 14(4) के तहत् भूमि आवंटन अधिकारी (सहायक कलक्टर, डूंगरपुर) के प्रकरण संख्या 1736/1977 दिनांक 08.11.1977 द्वारा आवंटित भूमि को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम गडाझूमजी के निवासी है तथा ग्राम बुचिया छोटा में प्रार्थीगण की काश्त भूमि खसरा नं. 211, 605 एवं 606 स्थित है, जिसके पडौस मे खसरा नम्बर 633 भूमि स्थित है तथा इसके

Scanned by CamScanner

रकबे 2 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का काश्त कब्जा करीब 60 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर बरोकटोक अभी तक बना हुआ है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की इस आराजी संख्या 633 में से जरिये प्रकरण संख्या 1736/1977 दिनांक 08.11.1977 को विपक्षीगण के पिता/पति श्री नगजी पिता रूपजी भील को क्रमशः 17 बिस्वा एवं 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया, जिसके नवीन ख.नं. 750/633 एवं 751/633 कायम हुए है। वस्तुतः आवंटि अथवा विपक्षीगण का इस भूमि पर कभी भी काश्त कब्जा नही रहा है एवं न ही अभी है। प्रार्थीगण ने इस भूमि को मेहनत–मजदुरी कर एवं आर्थिक व्यय कर उन्नत एवं काश्त योग्य बनाया है तथा प्रार्थीगण इस भूमि पर अभीं भी काश्त काबिज हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा श्री नगजी को आवंटित भूमि की मौके की जांच नही की है। आवंटि श्री नगजी राजकीय कर्मचारी था। आंवटन पत्रावली उपलब्ध नही हो रही है, किन्तु नामान्तरकरण के आदेश की प्रतिलिपि से श्री नगजी को भूमि आवंटन होना पाया जाता है। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमान्तर्गत आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ग्राम बुचिया छोटा में नही रहते है, जबकि विपक्षीगण ग्राम बुचिया छोटा के निवासी होकर आवंटित भूमि पर आवंटी श्री नगजी के समय से काबिज काश्त है। आवंटित भूमि की सुरक्षा हेतु बाड लगाई है, जमीन को उपजाऊ बनाया है तथा विपक्षीगणों के कुल तीन मकानात भी बने हुए है, जिस पर परिवार सहित निवासरत है। आवंटि तथा विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना कर ली है। आवंटन हुए 38–39 वर्ष हो गए है तथा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को आवंटित भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की दृष्टि से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारीज किया जावे।

उभय पक्षों की बहस समायत़ की गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विपक्षीगण को जो भूमि आवंटित हुई है उस पर कब्जा आज भी प्रार्थीगण का है। आवंटन निरस्ती हेतु देरी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु धारा–5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन की पत्रावली उपलब्ध नही हो रही है। नामान्तरकरण अनुसार भूमि आवंटित होना प्रमाणित है। आवंटन के समय आवंटि राजकीय सेवा में था तथा आवंटन की गई भूमि पर प्रार्थीगण लम्बे समय से काबिज काश्त चले आ रहे होने

Scanned by CamScanner

से एवं उक्त आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे।

विपक्षीगण सं. 1 से 4 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थीगण के कब्जे बाबत् साक्ष्य नही होना, आवंटन हुए 40 वर्षो की अवधि गुजर जाना, आवंटित भूमि बाबत् आवंटन शर्तो की पालना करने से खातेदारी अधिकार मिलना जाहिर करते हुए आवंटन को यथावत रखने निवेदन किया। विपक्षीगण के अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि आवंटि श्री नगजी के राजकीय सेवा में होने बाबत् कोई प्रमाण पेश नही हुआ है। अनाधिकृत कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण आवंटन निरस्त कराने के अधिकारी नही है। भूमि के अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद उपखण्ड न्यायालय में होता है जो प्रार्थीगण द्वारा नही किया गया है। आवंटन हुए लम्बी अवधि गुजर जाने से अब आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक उद्धरण 2008 (2) RRT 834 प्यारेलाल बनाम राजाराम, 2007(2) RRT1240 सुरजमल बनाम सरकार एवं 2009 (1) RRT 453 नगेन्द्रलाल बनाम धिरजी प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की नकले नामान्तरकरण सं. 56 ग्राम बुचिया छोटा अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि श्री नगजी पिता रूपजी मीणा को वर्ष 1977 में आवंटित होना पाया जाता है। जमाबंदी नकल खाता सं. 75 अनुसार आवंटित श्री नगजी खातेदार होकर आवंटित भूमि खातेदार के स्वामित्व होने से उसकी मृत्यु उपरान्त यह आवंटित भूमि विपक्षीगण सं. 1 से 4 के खातेदारी में विरासत से दर्ज होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण की ओर से अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नही हुआ है, जिससे यह माना जा सके कि आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण काश्त काबिज हो। आवंटन के समय आवंटि श्री नगजी राजकीय सेवा में था। आवंटी के राजकीय सेवारत होते हुए आवंटन किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जा सके की प्रार्थी वक्त भूमि आवंटन राजकीय सेवा में हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन में कोई अनियमितता की हो अथवा पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई हो के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में विपक्षीगण सं. 1 से 3 के पिता एवं 4 के पति श्री नगजी को कृषि प्रयोजनार्थ हुआ था, जिसके आवंटन हुए करीब 40 वर्ष का समय हो चुका है। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी आवंटि को प्राप्त हो चुके है। अब इतनी लम्बी अवधि उपरान्त उक्त आवंटन को जबकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने का तथ्य सामने नही

Scanned by CamScanner

आया हो, तब उसे मात्र किसी बिना आधारों एवं प्रमाण/दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाना उचित नही होगा। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों में भी आमतौर पर ऐसा ही मत माननीय न्यायालयों ने व्यक्त किया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1977 में श्री नगजी को किये गये आवंटन ग्राम बुचिया छोटा के खसरा नं. 633 में क्रमशः रकबा 17 बिस्वा एवं 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 750/633 एवं 751/633 कायम हो विपक्षीगण सं. 1 से 4 के खातेदारी में दर्ज है के आवंटन में ऐसी कोई अनियमितता रेकार्ड पर नही आई है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता रहे।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner